

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 1161 / 14-1, दिनांक: अलीगढ़: अक्टूबर: 09 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत पलवल-टप्पल-अलीगढ़ (एस0एच0-22ए) किमी0 72 दांयी पटरी खसरा सं0 400, ग्राम लोधा, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ-

आपका पत्रांक- 868/अलीगढ़/26425/2017 दिनांक 25.09.2017.

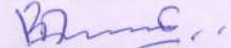
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक 1107/अदर्स/26425/2017, दिनांक 28.09.2017 द्वारा विषयक प्रस्ताव में लगायी गई आपत्तियों का निराकरण कर आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के आधार पर आपत्तियों पर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:-

S.no.	Observation	Reply
1	ऑनलाईन पार्ट-1 के बिन्दु-ए(3) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त अभिलेखों पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। हस्ताक्षरकर्ता की नाम व पद सहित सील अंकित नहीं है।	ऑनलाईन पार्ट-1 के बिन्दु-ए(3) के अनुसार सक्षम अधिकारी का नाम अंकित कर समस्त अभिलेखों पर हस्ताक्षर करा दिये गये हैं। हस्ताक्षरकर्ता की नाम व पद सहित सील अंकित कर दी गयी है।
2	प्रस्ताव के साथ संलग्न आफलाईन पार्ट-1 को प्रस्ताव से पृथक कर दें, इसकी आवश्यकता नहीं है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न आफलाईन पार्ट-1 को प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव के पृष्ठ-27 पर संलग्न अभिलेख के बिन्दु-2 पर अंकित है कि किसी वृक्ष का पातन प्रस्तावित नहीं है, जबकि ऑनलाईन पार्ट-2 के बिन्दु-4(2) पर पातन हेतु प्रस्तावित 06 वृक्षों का विवरण अपलोड है। इस विसंगति को स्पष्ट करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव के पृष्ठ-27 पर संलग्न अभिलेख के बिन्दु-2 पर अंकित किसी वृक्ष का पातन प्रस्तावित नहीं है, त्रुटिवश अंकित हो गया है। जिसे संशोधित कर दिया गया है। परियोजना में 06 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है, जिसका विवरण ऑनलाईन अपलोड किया गया है।
4	ऑनलाईन पार्ट-1 के Additional Information Detail पर प्रस्तावित वनभूमि की गणना, गैर वन भूमि की गणना, क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय को जमा करने हेतु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता, प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 जमा करने हेतु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता, चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रभागीय निदेशक एवं परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई वन्य जीव विहार/सँचुरी की उपलब्धता से सम्बन्धित	ऑनलाईन पार्ट-1 के Additional Information Detail पर प्रस्तावित वनभूमि की गणना, गैर वन भूमि की गणना, क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय को जमा करने हेतु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता, प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 जमा करने हेतु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता, चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रभागीय निदेशक एवं परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई वन्यजीव विहार/सँचुरी की उपलब्धता से सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का प्रमाण-पत्र आदि अभिलेख ऑनलाईन अपलोड कर दिये गये हैं।

	प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र आदि अभिलेख अपलोड नहीं है। अपलोड करें।	
5	ऑनलाइन पार्ट-2 पर के बिन्दु-16 पर प्रभागीय निदेशक द्वारा संस्तुति के स्थान पर पत्र अपलोड किया गया है, जो सुसंगत नहीं है। संस्तुति अपलोड करने का कष्ट करें।	ऑनलाइन पार्ट-2 पर के बिन्दु-16 पर प्रभागीय निदेशक द्वारा संस्तुति के स्थान पर पत्र अपलोड किया गया है। प्रभागीय स्तर पर संस्तुति पत्र, ऑनलाइन संस्तुति के उपरान्त ही उत्पन्न होता है, इसे ऑनलाइन संस्तुति से पूर्व उत्पन्न नहीं कराया जा सकता। साथ ही एक बार संस्तुति हो जाने के उपरान्त, ऑनलाइन अपलोड संस्तुति पत्र में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। Delete/Edit का कोई Option ऑनलाइन अपलोडिंग में नहीं आता है। अतः इसमें किसी भी प्रकार को कोई संशोधन सम्भव नहीं है।

भवदीय,


(बी० प्रभाकर)

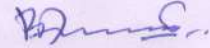
वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

42

पत्रांक 1161/14-1, समदिनांकित।

1. प्रतिलिपि— प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को पत्रांक 1107/अदर्स/26425/2017, दिनांक 28.09.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि— प्रभागीय प्रबन्धक, एस्सार ऑयल लिमिटेड, 2314, तीसरी मंजिल, टावर ए, द कोरेन्थम, ए-41, सेक्टर 62, नोएडा को सूचनार्थ प्रेषित।


(बी० प्रभाकर)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

42